

प्रधान मुख्य आयुक्तालय, जीएसटी एव केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : मुंबई ज़ोन OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF GST AND CX: MUMBAI ZONE

११५, जीएसटी भवन, एम.के. रोड, चर्चगेट, मुंबई-२० 115, GST BHAWAN M.K.ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI-20. E-mail:dcccunit@rediffmail.com & ccu-cexmum1@nic.in Fax No.022-22014170



फा. सं. GCCO/RTI/APP/ 646/2021-ADMN-O/o Prcc-CGST-Zone Mumbai मुंबई, दिनांक: September , 2021

प्रति, Shri Devchand Vaidya Mararloli, Gondia Pin 441614

विषय: Online RTI Application filed by Shri Devchand Vaidya (CCEM1/R/T/21/00057 dated 01.09.2021) -reg.

Please refer to your above online RTI Applications (CCEM1/R/T/21/00057 dated 01.09.2021) received in this office through online under section 6(3) of the RTI Act, 2005 from Central Board of Excise & Customs-Central Excise with Ref number (CBECE/R/E/21/00828).

In this regard, the information sought for under the above mentioned RTI Applications, is supplied as follows :-

Point No 1 :- This Office is Cadre Control Authority for Inspectors of Central Excise. Recruitment of Candidates nominated through CGLE is undertaken as per the norms and specifications for eligibility of a candidate for the posts of Inspector of Central Excise are mentioned in the Recruitment Rules as notified in the Gazette of India on 26.12.2016.(copy Enclosed).

Point No 2 :- Information is not available in this office.

Point No 3:- Information is not available in this office.

## File No.GCCO/RTI/APP/646/2021-ADMN-O/o Pr CC-CGST-ZONE-MUMBAI

If you are aggrieved with this information, you may file an Appeal within 30 (thirty) days from the date of receipt of this reply with Shri V V Pandit, Additional Commissioner /First Appellate Authority, Principal Chief Commissioner's Office, 4<sup>th</sup> Floor, 115, New Central Excise Building, M. K. Road, Churchgate, Mumbai 400 020 in terms of Section 19(1) of Right to Information Act, 2005.

आपका आभारी,

Digitally Signed by Mohanan Appukuttan Date: 28-09-2021 11:21:41 Reason: Approved

(ए मोहनन)

सहायक आयुक्त (सी पी आई ओ ) सीसीओ, वस्तु एवं सेवाकर , मुंबई क्षेत्र ईमेल आईडी:\_ccu-cexmum1@nic.in

Encl : As above.

1) CPIO, Under Secretary, Central Board of Excise & Customs-Central Excise

2) अधीक्षक ,कम्प्युटर सेक्शन, वस्तु एवं सेवाकर, मुंबई सेंट्रल , डीओपीटी, ओएम नंबर 1/6/2011-आईआर दिनांक 15/04/2013 के अन्सार आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

# **HRE Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 884]
 नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2016/पौष 5, 1938

 No. 884]
 NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2016/PAUSA 5, 1938

#### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1172(अ).—राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और भूमि सीमा शुल्क विभाग निरीक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2002, सीमा-शुल्क विभाग निरीक्षक (निवारक अधिकारी) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2002 और सीमा शुल्क विभाग निरीक्षक (परीक्षक) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के नियंत्रणाधीन निरीक्षक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क), निरीक्षक (निवारक अधिकारी) और निरीक्षक (परीक्षक) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कमिश्नरी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क, निवारक अधिकारी तथा परीक्षक) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवेदन- ये नियम इन नियमों में उपबंध अनुसूची के स्तंभ(I) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में लेबल.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे उपाबंद्ध वेतन मेट्रिक्स में लेबल वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोत्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **विशेष उपबंध.—(1)** जब तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अन्यथा निदेशित न किया जाए, काडर नियंत्रण प्राधिकारी (सीसीए) का अपना अलग काडर होगा।

5923 GI/2016

(1)

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

8

## 6. निरईता.---वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: परंतु यदि केंदीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेबल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. निरीक्षक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	19999* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेबल -7 (44, 900- 1,42,400 रु.)	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	ऊँचाई: 157.5 सेन्टीमीट (गढ़वाली, असमिया, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दशा में 5 सेंटीमीटर शिथिल की जा सकती है)। सीना: 81 सेंटीमीटर (पूरी तरह से फुला कर जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फैलाव हो) (II) शारीरिक परीक्षण : पैदल चाल : 15 मिनट में 1600 मीटर साइकिलिंग : 30 मिनट में 8 किलोमीटर

अनुसूची

# ·1636066/2021/CRU-O/o Pr CC-CGST-Zone-Mumbai

[भाग II–खण्ड 3(i)]

.

भारत का राजपत्र : असाधारण

 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		नागालैंड, सिक्किम,	महिला अभ्यर्थियों के लिए :
		जम्मू-कश्मीर	(I) शारीरिक मान(न्यूनतम)
		राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल	ऊंचाई: 152 सेंटीमीटर
		प्रदेश के लाहोल	वजन: 48 किलोग्राम
		और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकाबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	(गढ़वाली, असमिया, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दशा में ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर और वज़न में 2 किलोग्राम शिथिल की जा सकती है)। (II) शारीरिक परीक्षण : पैदल चाल: 20 मिनट में 1 किलोमीटर साइकिलिंग : 25 मिनट में 3 किलोमीटर टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित
			अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो विहित की जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
			टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो उपबंद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब जयन के किसी प्रक्रम पद कर्मचारी चयन विभागों या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिसने प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)
आयु: नहीं : अर्हताएं: हां	सीधे भर्ती और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । (उन व्यक्तियों के सिवाय जो पहले से ही समूह 'ख' का	<ul> <li>(i) नब्बे प्रतिशत</li> <li>कर्मचारी चयन आयोग</li> <li>के माध्यम से सीधी भर्ती</li> <li>द्वारा ;</li> <li>(ii) दस प्रतिशत सीमित</li> <li>विभागीय प्रतियोगिता</li> <li>परीक्षा के माध्यम से</li> </ul>	प्रोन्नति : ऐसे अधिकारियों के निम्नलिखित प्रवर्गों से विभागीय अर्हता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा (i) वेतन मैट्रिक्स में लेबल – 6 (35,400-1,12,400 रु.) में ऐसे कार्यपालक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-I जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या (ii) ऐसे कार्यपालक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-I जिन्होंने वेतन

9

पद धारण किए	प्रोन्नति द्वारा।	मैट्रिक्स में लेबल- 6 (35,400-1,12,400 रु.) में और वेतन मैट्रिक्स में
हुए हैं)		लेबल - 4 (25, 500- 81, 100 रु.) में पंद्रह वर्ष सम्मिलित नियमित
		सेवा की है; या
		(iii) वेतन मैट्रिक्स में लेबल - 4 (25,500- 81,100 रु.) में ऐसे
		पदधारी (बुमैन सर्चर या ड्राफ्ट्समैन या कर सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-II) जिन्होंने उस श्रेणी में पंद्रह वर्ष नियमित सेवा की है।
		<b>टिप्पण 1:</b> वेतन मैट्रिक्स में दिए गए लेबलों में ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को विभाग के पुष्टिकृत या स्थायी पदधारी हैं और जो ऐसे प्रारंभ से पूर्व आयोजित एस डी सी ई में भाग लेने के लिए पात्र ये साम्यापूर्ण आधार पर सभी एल डी सी ई में भाग लेने के
		लिए पात्र बने रहेंगे; और
		टिप्पण 2: आशुलिपि काडर में दिए गए वेतन मैट्रिक्स में ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ में थीं तारीख के पश्चात विभाग में पद ग्रहण किए हुए हैं ऐसे प्रारंभ की तारीख के पश्चात् आयोजित एल डी सी ई में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।
		टिप्पण 3: अभ्यर्थियों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा समय-समय पर जैसा भी की जाए ऐसा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा और लिखित परीक्षा अर्हक स्वरूप का होगा तथा परीक्षा में प्रदत्त अंकों का ज्येष्ठता अवधारण करने के लिए गणना नहीं की जाएगी।
		<b>टिप्पण 4:</b> अभ्यर्थियों से शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा और स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शारीरिक मानदंड पूरा करना होगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना है		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)		(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नत समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है ।
1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त	—अध्यक्ष	
2. काडर नियंत्रक एकक के अपर आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त 3. काडर नियंत्रक कार्यालय के स्थान पर तैनात ज्येष्ठतम अपर	— सदस्य	
आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त	सदस्य	
4. भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के उपायुक्त	—सदस्य	
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)		
जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-		
1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त	अध्यक्ष	
2. काडर नियंत्रक एकक के अपर आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त	सदस्य	
3. काडर नियंत्रक कार्यालय के स्थान पर तैनात ज्येष्ठतम अपर		
आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त	—सदस्य	
4. भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क)		
के उपायुक्त	सदस्य	

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

[भाग II-खण्ड 3(i)]

4

#### भारत का राजपत्र : असाधारण

11

# [PART II—SEC. 3(i)]

THE	GAZETTE	OF	INDIA : EXTRAORDINARY
-----	---------	----	-----------------------

6	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAOR	DINARY [PART II—SEC. 3(i)]
		उपबंद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब जयन के किसी प्रक्रम पद कर्मचारी चयन विभागों या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)
आयुः नहीं अर्हताएंः हां	सिधे भर्ती और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । (उन व्यक्तियों के सिवाय जो पहले से ही समूह 'ख' का पद धारण किए हुए हैं)	(i) नब्बे प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; (ii) दस प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा ।	<ul> <li>प्रोन्नति: ऐसे अधिकारियों के निम्नलिखित प्रवर्गों से विभागीय अर्हता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा।</li> <li>(i) वेतन मैट्रिक्स में लेबल – 6 (35,400-1,12,400 रू.) में ऐसे कार्यपालक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-I जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या</li> <li>(ii) ऐसे कार्यपालक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-I जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेबल- 6 (35,400-1,12,400 रू.) में और वेतन मैट्रिक्स में लेबल- 6 (35,400-1,12,400 रू.) में और वेतन मैट्रिक्स में लेबल- 4 (25,500-81,100 रू.) में और वेतन मैट्रिक्स में लेबल- 4 (25,500-81,100 रू.) में पंद्रह वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है; या</li> <li>(iii) वेतन मैट्रिक्स में लेबल – 4 (25, 500- 81, 100 रू.) में ऐसे पदधारी (वुमैन सर्चर या कर सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-II) जिन्होंने उस श्रेणी में पंद्रह वर्ष नियमित सेवा की है।</li> <li>टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स में दिए गए लेबलों में ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को विभाग के पुष्टिकृत या स्थायी पदधारी हैं और जो ऐसे प्रारंभ से पूर्व आयोजित एस डी सी ई में भाग लेने के लिए पात्र बने रहेंगे; और</li> <li>टिप्पण 2: आशुलिपि काडर में दिए गए वेतन मैट्रिक्स में ऐसे परधारी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख के पश्चात्त विभाग में पद ग्रहण किए हुए हैं ऐसे प्रारंभ की तारीख के पश्चात्त विभाग में पद ग्रहण किए हुए हैं ऐसे प्रारंभ की तारीख के पश्चात्त विभाग में पद ग्रहण किए हुए हैं ऐसे प्रारंभ की तारीख के पश्चात्त विभाग में पद ग्रहण किए हुए हैं ऐसे प्रारंभ की तारीख के पश्चात्त विभाग में पद ग्रहण किए हुए हैं ऐसे प्रारंभ की तारीख के पश्चात्त विभाग में पद ग्रहण किए हुए हैं ऐसे प्रारंभ की तारीख के पश्चात्त आयोजित एल डी सी ई में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।</li> <li>टिप्पण 3: अभ्यर्थियों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा समय-समय पर जैसा भी की जाए ऐसा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा करने के लिए गणना नहीं की जाएगी।</li> </ul>

12

,

[भाग II—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	7
	करना अपेक्षित होगा अ	से शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण गैर स्तंभ (7) के अधीन सीधे व्यक्तियों के लिए विहित करना होगा।

(12)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नत समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है ।
1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त:	—अध्यक्ष	
2. काडर नियंत्रक एकक के अपर आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त: 3. काडर नियंत्रक कार्यालय के स्थान पर तैनात ज्येष्ठतम  अपर आयुक्त	—सदस्य	
अथवा संयुक्त आयुक्त:	सदस्य	
4. भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के उपायुक्त:	सदस्य	
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-		
1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त:	—अध्यक्ष	
2. काडर नियंत्रक एकक के अपर आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त: 3. काडर नियंत्रक कार्यालय के स्थान पर तैनात ज्येष्ठतम  अपर आयुक्त अथवा	—सदस्य	
संयुक्त आयुक्त:	—सदस्य	
4. भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के उपायुक्त:	—सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) 3. निरीक्षक (परीक्षक)	(2) 1595* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(3) साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	(4) वेतन मैट्रिक्स में लेबल-7 (44, 900- 1,42,400 रु.)	(5) चयन	(6) 30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत करने के लिए नियत	<b>आवश्यक :</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री <b>टिप्पण1:</b> अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कम्प्यटर दक्षता
					तारीख (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,	सीना: 81 सेंटीमीटर (पूरी तरह से फुला कर जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फैलाव हो) (II) शारीरिक परीक्षण :

8	

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

	मिजोरम, मणिपुर,	<b>पैदल चाल :</b> 15 मिनट में 1600 मीटर
	नागालैंड, सिक्किम,	<b>साइकिलिंग</b> : 30 मिनट में 8 किलोमीटर
	जम्मू-कश्मीर राज्य	महिला अभ्यर्थियों के लिए :
	के लद्दाख खंड,	(I) शारीरिक मान (न्यूनतम)
	हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति	ऊंचाई: 152 सेंटीमीटर
	जिले तथा चम्बा	वजन: 48 किलोग्राम
	जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकाबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए	(गढ़वाली, असमिया, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दशा में ऊंचाई में 2.5 सेंटीमीटर और वज़न में 2 किलोग्राम शिथिल की जा सकती है)।
	विहित की गई है)	(॥) शारीरिक परीक्षणः
		पैदल चाल : 20 मिनट में 1 किलोमीटर
		साइकिलिंग : 25 मिनट में 3 किलोमीटर
		टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो विहित की जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
		टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो उपबंद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब जयन के किसी प्रक्रम पद कर्मचारी चयन विभागों या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)
आयु: नहीं अर्हताएं: हां	सीधे भर्ती और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । (उन व्यक्तियों के सिवाय जो पहले से ही समूह 'ख' का पद धारण किए हुए हैं)	<ul> <li>(i) नब्बे प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;</li> <li>(ii) दस प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा।</li> </ul>	प्रोन्नति: ऐसे अधिकारियों के निम्नलिखित प्रवर्गों से विभागीय अर्हता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा । (i) वेतन मैट्रिक्स में लेबल - 6 (35,400-1,12,400 रू.) में ऐसे कार्यपालक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-I जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या (ii) ऐसे कार्यपालक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-I जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेबल- 6 (35,400-1,12,400 रू.) में और वेतन मैट्रिक्स में लेबल - 4 (25, 500- 81, 100 रू.) में पंद्रह वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है; या (iii) वेतन मैट्रिक्स में लेबल - 4 (25, 500- 81, 100 रू.) में ऐसे पदधारी (कर सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-II) जिन्होंने उस श्रेणी में

[भाग [I-खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	9
	पंद्रह वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स में दिए गए लेबलों में ऐसे पदधारी जो इ नियमों के प्रारंभ की तारीख को विभाग के पुष्टिकृत या स्थायी पदधार हैं और जो ऐसे प्रारंभ से पूर्व आयोजित एस डी सी ई में भाग लेने ह लिए पात्र ये साम्यापूर्ण आधार पर सभी एल डी सी ई में भाग लेने ह लिए पात्र बने रहेंगे; और टिप्पण 2: आशुलिपि काडर में दिए गए वेतन मैट्रिक्स में ऐसे पदधार्र जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् विभाग में पद ग्रहण किए हुए हैं ऐसे प्रारंभ की तारीख के पश्चात् विभाग में पद ग्रहण किए हुए हैं ऐसे प्रारंभ की तारीख के पश्चात् आयोजित एल डी सी ई में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3: अभ्यर्थियों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वार समय-समय पर जैसा भी की जाए ऐसा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करन अपेक्षित होगा और लिखित परीक्षा अर्हक स्वरूप का होगा तथा परीक्ष में प्रदत्त अंकों का ज्येष्ठता अवधारण करने के लिए गणना नहीं की जाएगी। टिप्पण 4: अभ्यर्थियों से शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा और स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शारीरिक मानदंड पूरा करना होगा।	री के के री गमें गा गो

(12)		(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नत समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की	
1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त:		आवश्यकता नहीं है।
2. काडर नियंत्रक एकक के अपर आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त:	सदस्य	
3. काडर नियंत्रक कार्यालय के स्थान पर तैनात ज्येष्ठतम अपर आयुक्त		
अथवा संयुक्त आयुक्त:	सदस्य	
4. भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के उपायु	,क	
	—सदस्य	
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)	जो	
निम्नलिखित से मिलकर बनेगी	1	
1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त:	अध्यक्ष	
2. काडर नियंत्रक एकक के अपर आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त:	—सदस्य	
3. काडर नियंत्रक कार्यालय के स्थान पर तैनात ज्येष्ठतम अपर आयुक्त	i	
अथवा संयुक्त आयुक्त:	—सदस्य	
4. भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के उपायु	कःसदस्य	

[फा. सं. ए. 12018/30/2003.प्रशा.III बी]

राजपाल सिंह, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2016

G.S.R. 1172(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and in supersession of the Central Excise and Land Customs Department Inspector (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2002, the Customs Department Inspector (Preventive Officer) (Group 'C' posts)

10

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

Recruitment Rules, 2002 and the Customs Department Inspector (Examiner) (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2002 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment to the posts of Inspector (Central Excise), Inspector (Preventive Officer) and Inspector (Examiner) in the Commissionerates under the control of Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

**1.** Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Excise and Customs Commissionerates Inspector (Central Excise, Preventive Officer and Examiner), Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3.** Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**5.** Special provision. - Each Cadre Controlling Authority (CCA) shall have its own separate cadre, unless otherwise directed by the Central Board of Excise and Customs.

6. Disqualification.-No person,-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Inspector (Central Excise).	19999* (2016) *Subject to variation dependent on	General Central Service, Group "B", Non- Gazetted, Non-	Level – 7 in the pay matrix (Rs. 44,900- 1,42,400).	Selection.	Not exceeding 30 years. Note1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the	Essential: Degree from a recognised University or Institute. <b>Note 1:</b> Candidates shall be required to pass Computer Proficiency Test (CPT) conducted

#### SCHEDULE

[भाग II-खण्ड 3(i)]

.

#### भारत का राजपत्र : असाधारण

Government. required to pass physical stand	
<ul> <li>Note2: the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manjuer, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jamma and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nahandan Andana and Nicobar Handsh or Chamba district of Garbudiates.</li> <li>(I) Physical standards (Minit Himachal Pradesh, Nicobar Handsh or Chamba district of Chamba district of Garbudiates.</li> <li>(I) Physical standards (Minit Himachal Pradesh, Andaman and Nahands and Nicobar Handsh or Lakshadweep).</li> <li>(I) Physical Test-Walking : 1600 meters minutes</li> <li>(I) Physical standards (Minit Himachal Pradesh, Andaman and and Nicobar Handsh or Lakshadweep).</li> <li>(I) Physical Test - Walking: 1 Km. in 20 minute Cycling: 3 kms. in 25 minute Nate Treasons to be record writing, in the case of candification (Saff Selection Comm Saff S</li></ul>	hall be test and lards as imum) ble by 5 thwalis, hembers (panded of 5 in 15 tes. mum) ms and in the samese, s of es es. s are of the mission thority ded in didates stes or tage of lection or of the ber of unities erience to fill

12

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, level in the pay matrix from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Age: No. Qualifications: Yes.	Two years for direct recruits and promotees (except those who are already holding Group 'B' Post).	<ul> <li>(i) Ninety per cent by direct recruitment through Staff Selection Commission (S.S.C.);</li> <li>(ii) ten per cent by promotion through Limited Departmental Competitive Examination (LDCE).</li> </ul>	<ul> <li>Promotion:-</li> <li>By promotion through Departmental Qualifying examination from the following categories of officers:-</li> <li>(1) Executive Assistant or Stenographer Grade-I in level - 6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1.12,400) with five years regular service in the grade;</li> <li>(II) Executive Assistant or Stenographer Grade-I with fifteen years' combined regular service in level - 6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400) and in level - 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100).</li> <li>(III) Officials (Women Searcher or Draftsman or Tax Assistant or Stenographer Grade-II) in level - 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100).</li> <li>(III) Officials (Women Searcher or Draftsman or Tax Assistant or Stenographer Grade-II) in level - 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) with fifteen years' regular service in the grade.</li> <li>Note 1: The Officials in the given level(s) in the pay matrix, who are confirmed or permanent officials of the Department as on the date of commencement of these rules and who were eligible to participate in the LDCE conducted prior to such commencement shall continue to be eligible to participate in all the LDCE on an equitable basis; and</li> <li>Note 2: The Officials in the given level(s) in the pay matrix, in the stenography cadre, who join the Department after the date of commencement.</li> <li>Note 3: Candidates shall be required to pass such written tests as may be determined by the Central Board of Excise and Customs from time to time and the written test shall not be counted towards determining seniority.</li> <li>Note 4: Candidates shall be required to pass physical tests and conform to the physical standards prescribed for direct recruits under column (7).</li> </ul>

If Departmental Promotion Committee exist, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
(12)	(13)	
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :-	Consultation with Union Public Service Commission not	
1. Principal Commissioner or Commissioner of Central Excise       -Chairman;	necessary.	
2. Additional Commissioner or Joint Commissioner of the Cadre		

.

•

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : अस्	गधारण	13
Controlling Unit	-Member;	
3. Senior most Additional Commissioner or Joint Commission location of the Cadre Controlling Office	er posted at the - <b>Member;</b>	
4. Deputy Commissioner of the Indian Revenue Service (Custo Excise)	oms and Central - <b>Member.</b>	
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for consider Confirmation) consisting of :-	ring	
1. Principal Commissioner or Commissioner of Central Excise	-Chairman;	
2. Additional Commissioner or Joint Commissioner of the Cadre		
Controlling Unit	- Member;	
3. Senior most Additional Commissioner or Joint Commissioner location of the Cadre Controlling Office	er posted at the - <b>Member</b> ;	
4. Deputy Commissioner of the Indian Revenue Service		
(Customs and Central Excise)	-Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Inspector (Preventive Officer).	2970* (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "B", Non- Gazetted, Non- Ministeriał.	Level – 7 in the pay matrix (Rs.44,900- 1,42,400).	Selection.	<ul> <li>Not exceeding 30 years</li> <li>Notel: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</li> <li>Note2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</li> </ul>	<ul> <li>(7)</li> <li>Essential:</li> <li>Degree from a recognised University or Institute.</li> <li>Note 1: Candidates shall be required to pass Computer Proficiency Test (CPT) conducted by the Staff Selection Commission.</li> <li>Note 2: Candidates shall be required to pass physical test and to possess physical standards as prescribed below:</li> <li>For Male Candidates:- <ul> <li>(I) Physical standards (Minimum)</li> <li>Height: 157.5 cms. (relaxable by 5 cms. in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of Scheduled Tribes.)</li> <li>Chest: 81 cms (fully expanded with minimum expansion of 5 cms)</li> <li>(II) Physical Test-</li> <li>Walking : 1600 meters in 15 minutes</li> <li>Cycling : 8 kms in 30 minutes.</li> <li>For Female candidates:</li> <li>(I) Physical standards (Minimum)</li> <li>Height-152 cms</li> <li>Weight-48 kgs</li> <li>(Height relaxable by 2 kgs in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of Scheduled Tribes.)</li> <li>(II) Physical Test-</li> </ul> </li> </ul>

14

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[Part II—Sec. 3(i)]

······		1	
			Cycling: 3 kms. in 25 minutes.
			Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission (S.S.C.) or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.
•		49 10 10	Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission (S.S.C.) or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission (S.S.C.) or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Age: No Qualifications: Yes	ations: Yes Two years for direct (i) Ninety per cen recruits and promotees direct recruit (except those who are already holding Group Commission (S.S.C		Promotion:- By promotion through Departmental Qualifying examination from the following categories of officers:
	'B' Post).	(ii) ten per cent by promotion through Limited Departmental	(I) Executive Assistant or Stenographer Grade-I in level – 6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400) with five years regular service in the grade;
		Competitive Examination (LDCE).	(II) Executive Assistant or Stenographer Grade-I with fifteen years' combined regular service in level $-6$ in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400) and in level $-4$ in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100).
			(III) Officials (Women Searcher or Tax Assistant or Stenographer Grade-II) in level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) with fifteen years regular service in the grade.
			<b>Note 1:</b> The officials in the given level(s) in the pay matrix, who are confirmed or permanent officials of the Department as on the date of commencement of these rules and who were eligible to participate in the LDCE conducted prior to such commencement shall continue to be eligible to participate in all the LDCE on an equitable basis.
			Note 2: The officials in the given level(s) in the pay matrix, in the stenography cadre, who join the Department after the date of commencement of these rules shall not be eligible to participate in the LDCE conducted after the date of such commencement.
			Note 3: Candidates shall be required to

[भाग II-खण्ड 3(i)]

•

#### भारत का राजपत्र : असाधारण

pass such written tests as may be determined by the Central Board of Excise and Customs from time to time and the written test shall be qualifying in nature and the marks obtained in the tests shall not be counted towards determining seniority.

**Note 4:** Candidates shall be required to pass physical tests and conform to the physical standards prescribed for direct recruits under column (7).

	(12)	(13)		
Gr Pr	roup 'B' Departmental Promotion Committee (for considering romotion) consisting of :-	Consultation with Union Public Service Commission not		
1.	Principal Commissioner or Commissioner of Customs	-Chairman;	necessary.	
2.	Additional Commissioner or Joint Commissioner of the Cadre Controlling Unit	—Member;		
3.	Senior most Additional Commissioner or Joint Commissioner posted at the location of the Cadre Controlling Office	—Member;		
4.	Deputy Commissioner of the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise)	—Member.		
Gr	oup 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :-			
1.	Principal Commissioner or Commissioner of Customs	Chairman;		
2.	Additional Commissioner or Joint Commissioner of the Cadre Controlling Unit	—Member;		
3.	Senior most Additional Commissioner or Joint Commissioner posted at the location of the Cadre Controlling Office	Member;		
4.	Deputy Commissioner of the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise)	—Member.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Inspector (Examiner).	1595* (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "B", Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level – 7 in the pay matrix (Rs.44,900- 1,42,400).	Selection	Not exceeding 30 years. Note1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya,	<ul> <li>Essential: Degree from a recognised University or Institute.</li> <li>Note 1: Candidates shall be required to pass Computer Proficiency Test (CPT) conducted by the Staff Selection Commission.</li> <li>Note 2: Candidates shall be required to pass physical test and to possess physical standards as prescribed below:</li> <li>For Male Candidates:- (I) Physical standards (Minimum)</li> <li>Height: 157.5 cms. (relaxable by 5 cms. in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of Scheduled Tribes.)</li> <li>Chest: 81 cms (fully expanded with minimum expansion of 5 cms) (II ) Physical Test-</li> </ul>

16

### THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

	Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	<ul> <li>Walking : 1600 meters in 15 minutes</li> <li>Cycling : 8 kms in 30 minutes.</li> <li>For Female candidates: <ul> <li>(I) Physical standards (Minimum)</li> <li>Height-152 cms</li> <li>Weight-48 Kgs</li> <li>(Height relaxable by 2.5 cms and weight relaxable by 2 Kgs in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of the Scheduled Tribes.)</li> <li>(II) Physical Test: -</li> <li>Walking: 1 km. in 20 minutes</li> <li>Cycling: 3 kms. in 25 minutes.</li> </ul> </li> <li>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission (S.S.C.) or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</li> <li>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission (S.S.C.) or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.</li> <li>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission (S.S.C.) or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes on Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission (S.S.C.) or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</li> </ul>
--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)
Age: No	Two years for	(i) Ninety per cent by	Promotion:-
Qualifications: Yes	direct recruits and promotees (except those who are already holding Group	direct recruitment through Staff Selection Commission (S.S.C.) (ii) ten per cent by promotion through Limited Departmental Competitive Examination (LDCE).	By promotion through Departmental Qualifying examination from the following categories of Officers:
			are (ii) ten per cent by promotion through
	'B' Post).		(II) Executive Assistant or Stenographer Grade-I with fifteen years' combined regular service in level $-6$ in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400) and in level $-4$ in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100).
			(III) officials (Tax Assistant or Stenographer Grade-II) in level $-4$ in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) with fifteen years regular service in the grade.
ŝ			<b>Note 1:</b> The officials in the given level(s) in the pay matrix, who are confirmed or permanent officials of the Department as on the date of commencement of these rules and who were eligible to participate in the LDCE conducted prior to such commencement shall continue to be eligible to participate in all the LDCE on an equitable basis.
			Note 2: The officials in the given level(s) in the pay matrix, in the stenography cadre, who join the Department after the date of commencement of these rules shall not be eligible to